राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक एफ.7(93)गृह–12/कारा/2016

जयपुर, दिनांक 19-01-17

महानिदेशक कारागार,
राज. जयपुर।

विषयः–बजट घोषणा वर्ष 2016–17 की घोषणा संख्या 233.14 की क्रियान्विति के संबंध मे।

सन्दर्भः–आपका पत्र क्रमांक सामान्य/28/2013/पार्ट/34371 दिनांक 27.09.2016 एवं 43901 दिनांक 03.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार बजट घोषणा वर्ष 2016–17 की घोषणा संख्या 233.14 की क्रियान्विति के क्रम में 25 कारागारों पर पूर्व में ही सुविधा उपलब्ध होने के कारण केवल 8 कारागारों हेतु Capex (Capital Expenditure) के अन्तर्गत Router, UPS, Switch, Network 4U Rack, Lan Cabling इत्यादि विभिन्न उपकरण क्रय किये जाने हेतु राशि रू. 8.86 लाख (अक्षरे रूपये आठ लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

25 कारागारों पर 2 mbps की कनेक्टीविटी उपलब्ध है। 25 जेलों की साईट्स पर Opex (Operration Expenditure) के अन्तर्गत उक्त 2 mbps को अपग्रेड किये जाने तथा 8 नवीन कारागारों पर 4 mbps connectivity स्थापना सहित कुल 33 कारागारों हेतु विभाग ने राशि रू. 21.59 लाख वार्षिक (राशि रू. 1.80 लाख मासिक) आवर्तक व्यय भार अवगत कराया है। अतः चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के तीन माह की राशि रू. 5.40 लाख (अक्षरे रूपये पांच लाख चालीस हजार मात्र) के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

साथ ही बजट मद 2056–101–(06)–(00)–18 (आयोजना) में उपलब्ध प्रावधान राशि रू 917.10 लाख में से राशि रू. 14.26 लाख (राशि 8.86 + राशि रू 5.40) के व्यय हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आहरण वितरण अधिकार प्रदान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी निम्नाकिंत शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. विभाग उक्त व्यय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना करते हुये किया जाना सुनिश्चित करेगा।
2. विभाग वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप एवं प्राथमिकता के अनुसार क्रय/व्यय किया जाना सुनिश्चित करेगा।
3. परियोजना रिपोर्ट में वर्णित है कि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा, उन स्थानों पर कार्य नही करेगी, जिन कारागारों पर जैमर स्थापित हो चुके है। अतः कारागार विभाग इस तथ्य व होने वाले प्रभावों की भी समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(योगेश कुमार श्रीवास्तव)
शासन उप सचिव गृह

यह स्वीकृतियां वित्त (व्यय–4) विभाग की आई.डी. संख्या 101604729 दिनांक 20.12.2016 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

भवदीय,

(योगेश कुमार श्रीवास्तव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज. जयुपर।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आहरण एवं वितरण अधिकार दिये जाने संबंधी आदेश प्रसारित करावें। वित्त (व्यय–4) विभाग की आई.डी. संख्या 101604729 दिनांक 20.12.2016 कीप्रति संलग्न है।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग, राज. जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग, राज. जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव